निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1933 (शo)

(सं0 पटना 264) पटना, सोमवार, 6 जून 2011

सं० 5 / सह० / फ०बी०–48 / 10–4369
सहकारिता विभाग

संकल्प
11 अक्तूबर 2010

विषय : पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् रबी 2010–11 मौसम हेतु बीमा के लिए चयनित फसलों को राज्य के 35 जिलो में लागू करने की स्वीकृति ।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011 / 01 / 2008 क्रेडिट II दिनांक 13 अगस्त 2010 तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23 सितम्बर 2010 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना के पत्रांक 595 दिनांक 29 सितम्बर 2010, पत्रांक 599 दिनांक 30 सितम्बर 2010 एवं 614, दिनांक 8 अक्तूबर 2010 तथा आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड, (जी॰आई॰), पटना के पत्रांक 0672642 / 07 दिनांक 29 सितम्बर 2010, पत्रांक 0672651 / 07 दिनांक 06 अक्तूबर 2010 एवं 0672652 / 07 दिनांक 11 अक्तूबर 2010 के आलोक में राज्य सरकार ने पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् गेहूँ, चना, मसूर, रबी–मक्का, अरहर, राई एवं सरसों, आलू, प्याज, बैंगन एवं टमाटर फसल को राज्य के 35 जिलों में निम्न रूप से पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् रबी 2010–11 मौसम में लागू करने का निर्णय लिया है –

क्रम	जिलो का नाम	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेन्सी
1.	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लक्खीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज,, अररिया एवं कटिहार। कुल–23 जिले।	सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰ पटना।
2.	गया, औरंगाबाद, सारण, मुजफफरपुर, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चंपारण एवं बाँका। कुल–12 जिलें	सम्पूर्ण जिला। अंचल के साथ मौसम केन्द्र की सूची संलग्न है।	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड (जी॰आई॰), पटना।

उपर्युक्त सूची के अनुसार बीमा हेतु चयनित फसलों के लिए रबी 2010–11 मौसम में बीमा कार्य सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. (A.I.C.) पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड (जी॰आई॰), पटना को ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका में निदेशित विहित शर्तों के तहत किया जाएगा। भारत सरकार के एतद् सम्बंधी पत्र एवं विभिन्न बीमा एजेंसियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में इस योजना की कुछ प्रमुख शर्त्तें उल्लेखनीय हैः–

क्र॰	फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि	प्रीमियम की दर	कृषकों के लए अनुमान्य प्रीमियम दर
1.	गेहूँ	22,500.00	7.00%	1.50%
2.	चना, मसूर, रबी–मक्का, अरहर, राई–सरसों	15,000.00	7.25%	2.00%
3.	आलू	40,000.00	11.00%	5.50%
4.	प्याज	40,000.00	11.25%	5.62%
5.	बैंगन	25,000.00	11.25%	5.62%
6.	टमाटर	25,000.00	11.25%	5.62%

उक्त तालिका में अंकित प्रीमियम की दर पर 10.30% की दर से सेवा कर भी संबंधित कृषक एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को वहन करना है।

(i) कुल देय प्रीमियम की राशि में कृषकों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की राशि के पश्चात् अवशेष प्रीमियम की राशि अनुदान के रूप में 50:50 के अनुपात में सेवा कर के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना पूर्णतः एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा किया जाएगा।

(iii) इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप योजना के लिए चयनित जिलों/अंचलों में उक्त फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा ।

(iv) ऋणी कृषकों हेतु यह योजना अनिवार्य है जबकि गैर ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। परन्तु गैर ऋणी किसान पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना का चयन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऋणी कृषक से आशय उन कृषकों से है जिनका बैंकों द्वारा साख सीमा 31 जनवरी 2011 तक स्वीकृत कर दिया गया है।

(v) ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जनवरी 2011 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा पत्र प्रीमियम की राशि के साथ बैंकों द्वारा बीमा एजेंसी को 2 मार्च 2011 तक निश्चित रूप से प्राप्त करा दिया जायेगा।

(vi) गैर ऋणी कृषक दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक बीमा हेतु चयनित फसलों का बीमा निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद संबंधी घोषणा पत्र दिनांक 15 जनवरी 2011 तक प्रीमियम की राशि के साथ निश्चित रूप से संबंधित बैंक बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेंगे।

(vii) **बीमित फसलों के लिए तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा, आद्रता आदि के लिए जोखिम अवधि के निमित्त जिलावार/फसलवार के लिए शर्त्त विवरणी संलग्न है।**

इस योजना के तहत तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से बीमित फसलों की क्षति होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए जोखिम, जोखिम की अवधि, देय क्षतिपूर्ति की गणना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., पटना एवं आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बॉर्ड (जी॰आई॰), पटना द्वारा तैयार की गयी सारिणी (अनुलग्नक –1) के आधार पर किया जाएगा।

(viii) बैंकों द्वारा कुल जमा की गयी प्रीमियम की राशि का (सेवा कर की राशि को छोड़कर) 5 प्रतिशत बैंक सेवा शुल्क के रूप में सम्बंधित बैंकों को बीमा एजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., पटना एवं आई.सी.आई.सी.आई. लॉम्बॉर्ड (जी.आई.), पटना के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बीमा कम्पनियाँ समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगी।

4. बीमा एजेंसियाँ प्रत्येक दिन का न्यूनतम–अधिकतम तापमान, R.H (Relative Humidity) एवं Rain Fall का आंकड़ा E-mail के माध्यम से जिलाधिकारी एवं विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगी एवं मासिक समेकित आंकड़ा भी विभाग को Weather Station wise समर्पित करेंगे। बीमा कंपनियाँ Weather Station की परिधि को 25 कि.मी. से घटाकर 20 कि.मी. करेंगी।

5. आई.सी.आई.सी.आई. लॉम्बॉर्ड (जी.आई.), पटना प्रीमियम अनुदान की राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.(A.I.C.) के माध्यम से प्राप्त करेगी।

6. इस योजना में प्रीमियम अनुदान के रूप में राज्य सरकार के हिस्से के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा,
सरकार के विशेष सचिव ।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 264-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in